12.3.2021 पत्रावली पेश। कारण सर्व द्वारा कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 25/3/2021 को पेश हो।

25.3.2021 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। अवकाश हेतु पत्रावली दिनांक 30/3/2021 को पेश हो।

30.03.2021 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा एक प्रा. पत्र अंतर्गत O22 R(1) व (4) व 151 CPC पेश किया गया। इसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र O22 R1, 4 व 151 CPC दिनांक 31.03.2021 को पेश हो।

31.03.2021 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 92A, 188, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया है। वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष चाहे गए हैं- 1. चक 3BLM (A), मु. नं. 09, प. नं. 194/387, मुस्तरका खाता में 1.653 हे. कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/5 हिस्सा खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।
2. वाद प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिवादी सं. 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

दिनांक 30.03.2021 को वादीगण द्वारा जरिए वकील एक प्रा. पत्र अंतर्गत O22 R(1) व (4) व 151 CPC पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 01 की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त दस्तावेजों, तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस

आधार पर निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो जाने पर 'वाद हेतुक', जैसा कि वाद-पत्र की बिंदु सं. 06 में वर्णित है कि प्रतिवादी सं. 01 नशा करने का आदी है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त कृषि भूमि को औने-पौने दामों में बेचान करना चाहते हैं, ही समाप्त हो जाता है।

अतः 'cause of action' के अभाव में वाद-पत्र निरस्त योग्य है। वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर